

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II--खण्ड 3--उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 139] No. 139] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 15, 2013/फाल्गुन 24, 1934

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 15, 2013/PHALGUNA 24, 1934

#### पर्यावरण और वन मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2013

सा.का.चि. 174(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण (वर्ग III) भर्ती नियम, 1964 की, जहां तक उसका संबंध उच्च श्रेणी लिपिक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, पर्यावरण और वन मंत्रालय के भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्बेक्षण में उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :---

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण, उच्च श्रेणी लिपिक, समृह 'ग' पद भर्ती नियम, 2013 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
  - 4. निरर्हता.--वह व्यक्ति.---
    - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की सीविदा की है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 5. शिथिल करने की शक्ति.---जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।
- 6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

| पद का नाम                 | पद संख्या  | वर्गीकरण   | वेतन बैंड और ग्रेड<br>वेतन या वेनमान                     | चयन अथवा<br>अचयन पद | सींघे मर्ती किए<br>जाने वाले<br>व्यक्तियों के<br>लिए<br>आयु—सीमा | सीधे भर्ती किए<br>जाने वाले<br>व्यक्तियों के<br>लिए अपेक्षित<br>शैक्षिक और<br>अन्य अर्हताएं | सीघे मर्ती किए<br>जाने वाले<br>व्यक्तियों के लिए<br>विहित आयु और<br>शैक्षिक अर्हताएं<br>प्रोन्नत व्यक्तियों<br>की दशा में लागू<br>होंगी या नहीं। | परिवीक्षा की<br>अवधि यदि<br>कोई हो। |
|---------------------------|--|--|--|---------------------|--|---|--|-------------------------------------|
| 1<br>उच्च श्रेणी<br>लिपिक | 2<br>40 * (2013)<br>* कार्यभार के<br>आधार पर<br>परिवर्तन किया<br>जा सकता है। | 3<br>साधारण<br>केन्द्रीय सेवा,<br>समूह "ग"<br>अराजपत्रित,<br>अनुसचिवीय | 4<br>वेतन बैड 1<br>5200—20200रू.<br>+ 2400रू. ग्रेड वेतन | 5<br>अचयन           | 6<br>लागू नहीं होता  | 7<br>लागू नहीं होता   | 8  | 9<br>लागू नहीं<br>होता              |

| भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या      | प्रोन्नित / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे                |
|---|---|
| प्रोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन   | प्रोन्नित / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।   |
| द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी   | •   |
| जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता          |   |
| 10  | 11  |
| (क) पैंसठ प्रतिशत प्रेन्नति द्वारा        |   |
| जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति          | जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है।  |
| द्वारा                                    | टिप्पण:1 जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी |
| (ख) पैंतीस प्रतिशत सीमित विभागीय          | कर ली है, प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में   |
| प्रतियोगिता परीक्षा (एल डी सी ई)          | भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अईक या पात्रता                  |
| द्वारा                                    | सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी        |
| <u>टिप्पण1ः</u> सीमित विभागीय प्रतियोगिता | कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित. जिन्होंने ऐसी अईक या            |
| परीक्षा के लिए पात्रता सेवा भारतीय        | पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी            |
| वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण मे अवर श्रेणी   | परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।  |
| लिपिक की श्रेणी में पाँच वर्ष की          |   |
| नियमित सेवा होगी।                         | टिप्पण:2 प्रोन्नित के-लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी          |
|   | अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन                |

उपलब्ध रिक्तियों की संख्या वाले कर्मचारी उक्त परीक्षा में अईता प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसी अधिक संख्या वाले कर्मचारियों पर पश्चात्वर्ती वर्षों में होने वाली रिक्तियों को भरने के लिए विचार किया जाएगा जिससे कि पर्ववर्ती परीक्षा में अईता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर पश्चातवर्ती परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने वाले कर्मचारियों से पूर्व विचार किया जा सके।

टिप्पण: असित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्य विवरण निम्नानुसार

- (1) सामान्य ज्ञान
- (2) सामान्य अंग्रेजी जिसके अंतर्गत व्याकरण भी है
- (3) कार्यालय प्रकिया, और
- (4) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द या हिन्दी में 30 शब्द प्रतिमिनट की टंकण गति।

(प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रैशन के औसत पर 10500 के डी पी एच / 9000 के डीपी एच के समरुप 35 शब्द और 30 शब्द प्रतिमिनट)

टिप्पण4 जो कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भर्ती के समय कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षा में पहले ही अर्हित हो गए हैं उन्हें कम्प्यूटर पर टंकण परीक्षा से छूट प्राप्त होगी।

टिप्पण:2 यदि खंड (ख) के अधीन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

प्रतिनियुक्तिः

केन्दीय सरकार के ऐसे अधिकारी:-

(क) (1) जो नियमित आधार पर सदश पदधारण किए हुए हैं, या

(2) जिन्होंने अवर श्रेणी लिपिक या समत्त्य श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है, और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अईता है:-

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी संकाय में बैचलर डिग्री।

टिप्पण:1 पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति हैं,प्रतिनियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे और इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण:2 प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अबूधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणः प्रतिनियक्ति द्वारा नियक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख़ से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, व्रेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।

| यदि विभागीय प्रोन्निति समिति है तो उसकी संरचना   | मर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से<br>परामर्श किया जाएगा। |  |  |
|--|---|--|--|
| 12   | 13  |  |  |
| विभागीय प्रोन्नित –समिति (प्रोन्नित के संबंध में विचार करने के लिए) जो<br>निम्निलिखित से मिलकर बनेगी:— | लागू नहीं होता  |  |  |
| (i) निदेशक, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण, — अध्यक्ष  |   |  |  |
| (ii) कार्यालय का प्रधान, भारतीय वनस्पति विज्ञान सर्वेक्षण, – सदस्य                                     |   |  |  |
| (iii) कार्यालय का प्रधान, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण — सदस्य                                      | •   |  |  |
|  |   |  |  |

[फा. सं. 1/9/2011-सी.एस.बी.]

बी.एम.एस. राठोर, संयुक्त सचिव (संरक्षण और सर्वेक्षण)

# MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 2013

GS.R. 174(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Botanical Survey of India (Class III) Recruitment Rules, 1964, in so far as they relate to the post of Upper Division Clerk, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Upper Division Clerk in the Ministry of Environment and Forests, Botanical Survey of India, namely:-

- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Ministry of Environment and Forests, Botanical Survey of India, Upper Division Clerk, Group 'C' Post Recruitment Rules, 2012.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale. The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.
- 3. Method of recruitment, age limit, qualifications, etc. The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
- Disqualification. No person,
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax. Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- 6. Saving. Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

| Name of post.                  | Number of post.  | Classification.  | Pay band and grade pay or pay scale.                       | Whether selection post or non-selection post.  |
|--------------------------------|--|--|--|--|
| 1                              | 2  | . 3  | 4  | 5  |
| Upper Division Clerk.          | 40* (2012) *Subject to variation dependent on workload.            | General Central Service,<br>Group 'C', Non-Gazetted,<br>Ministerial.   | Pay band-1:<br>Rs. 5200-20200 plus<br>grade pay - Rs.2400. | Non-selection.   |
| Age limit for direct recruits. | Educational and other qualifications required for direct recruits. | Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees. | Period of probation, if any.                               | Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.                                    |
| 6                              | 7  | 8  | 9  | , 10   |
| Not applicable.                | Not applicable.  | Not applicable.  | Not applicable.  | (a) sixty-five per cent. by promotion failing which by deputation; and (b) thirty-five per cent. by Limited Departmental Competitive Examination (LDCE).   |
|                                |  |  |  | Note 1: The eligibility service for the Limited Departmental Competitive Examination shall be five years' regular service in the grade of Lower Division Clerk in the Botanical Survey of India. |

Note 2: If more of such employees than the number of vacancies are available under clause (b) above qualified at the said Examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent vears 50 that the employees qualifying at an earlier Examination are considered before those who qualify at a later Examination. Note 3: The syllabus for

Note 3: The syllabus for Limited Departmental Competitive Examination shall be: (i) General Knowledge, (ii) General English including Grammar, (iii) Office Procedure and (iv) A typing speed of 35 words per minute in English or 30 words per minute in Hindi on computer.

(35 words per minute and 30 words per minute correspond to 10500 KDPH/ 9000 KDPH on an average of 5 key depressions for each word)

|   |  | Note 4: Those who have already qualified the typing test on computer at the time of recruitment through Staff Selection Commission, shall be exempted from typing test on computer. |
|---|--|---|
| In case of recruitment by promotion/ deputation/ absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.  | If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.                     | Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.  |
| Promotion:  | 12 Departmental Promotion Committee (for   | Not applicable.   |
| Lower Division Clerk in pay band-1 Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 1900 with eight years' regular service in the grade.  Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.  Note 2: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay | considering promotion) consisting of:-  1. Director,  Botanical Survey of India- Chairman; |   |

| (1)  | <i>[</i> (2) |   | 7.25 | <del></del> |
|--|--------------|---|------|-------------|
|  | (12)         |   | (13) |             |
| Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one   |              |   | ,    |             |
| grade with a common grade pay or pay scale, and  |              |   |      |             |
| where this benefit will extend only for the post(s) for  |              |   |      | []          |
| which that grade pay or pay scale is the normal  |              |   |      |             |
| replacement grade without any up-gradation.  |              |   |      | <u> </u>    |
| replacement grade without any up gradation.  |              |   |      |             |
| Deputation:  |              |   |      |             |
| Officers of the Central Government, -  |              |   |      |             |
| (a) (i) holding analogous post on regular basis; or  |              |   |      |             |
| (ii) with eight years' regular service in the grade  |              |   |      |             |
| of Lower Division Clerk or equivalent; and   |              |   |      |             |
| (b) possessing the following educational   |              |   |      |             |
| qualification:-  |              |   |      | i           |
| Bachelor's Degree in any stream from a   |              |   |      |             |
| recognised University.   |              |   |      |             |
| Note 1: The departmental officers in the feeder  |              |   |      |             |
| category who are in the direct line of promotion will  |              |   |      |             |
| not be eligible for consideration for appointment on   |              |   |      |             |
| deputation and similarly, deputationists will not be   |              |   |      |             |
| eligible for consideration for appointment by promotion.   |              |   |      |             |
| Note 2: The period of deputation including the   |              |   |      |             |
| period of deputation in another ex-cadre post held   |              |   |      |             |
| immediately preceding this appointment in the same   |              |   |      | 111         |
| or some other organisation or Department of the  |              |   |      |             |
| Central Government shall ordinarily not exceed three   |              |   |      |             |
| years.   |              |   |      |             |
| Note 3: The maximum age limit for appointment by   |              |   |      |             |
| deputation shall be not exceeding 56 years as on the   |              |   |      |             |
| The state of the s |              |   |      |             |
|  |              |   |      |             |
|  |              |   |      |             |
|  |              | • |      | ' '         |

| PART |
|------|
| Ŧ    |
| SEC. |
| 3    |

THE GAZETTE OF INDIA: EXTRAORDINARY

||. ਙ

| (1:)  | (12) | (13) |
|---|------|------|
| closing date of receipt of the applications.            |      |      |
| Note 4: For the purpose of appointment on               |      |      |
| deputation, the service rendered on a regular basis     |      |      |
| by an officer prior to 1st January, 2006 or the date    |      |      |
| from which the revised pay structure based on the       |      |      |
| recommendations of the Sixth Central Pay                |      |      |
| Commission has been extended, shall be deemed to        |      |      |
| be service rendered in the corresponding grade pay      |      | ļ    |
| or pay scale extended based on the                      |      |      |
| recommendations of the said Pay Commission              |      |      |
| except where there has been merger of more than         |      |      |
| one pre-revised scale of pay into one grade with a      |      |      |
| common grade pay or pay scale, and where this           |      |      |
| benefit will extend only for the post(s) for which that |      |      |
| grade pay or pay scale is the normal replacement        |      |      |
| grade without any up-gradation.                         | •    |      |

[F. No. 1/9/2011-CSB]

B.M.S. RATHORE, Jt. Secy. (Conservation and Survey)